

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**



**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**  
**PART II—Section 3—Sub-Section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 464] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 21, 1978/आश्विन 29, 1900  
No. 464] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1978/ASVINA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

**भारत निर्वाचन आयोग**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1978

का. आ. 601(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की  
उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 16  
अक्तूबर, 1978 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3(2) में प्रकाशित  
तारीख 16 अक्तूबर, 1978 को, अपनी अधिसूचना सं. 318/जम्मू-कश्मीर/78(4) को  
प्रतिष्ठित करते हुए, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में तारीख 16 अक्तूबर, 1978  
को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले

द्विवार्षिक निर्वाचनों में रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए श्री अब्दुल रशीद, अवर सचिव जम्मू-कश्मीर विधान सभा की नियुक्ति करता हूँ।

[सं. 318/जम्मू-कश्मीर/78(4)]

आदेश से,

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1978

**S.O. 601(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, and in supersession of the Commission's notification No. 318/J&K/78(4), dated the 16th October, 1978, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3(ii) dated the 16th October, 1978, the Election Commission hereby appoints Shri Abdur Rashid, Under Secretary in the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, to assist the Returning Office for the Biennial Election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 16 October, 1978.

[No. 318/J&K/78(4)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.